

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का नियुक्ति आदेश

संके प्रकीर्णित अधिनियम 1951 की धारा 26 (1) तथा (3) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आशीष गोयल, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निबंधन अधिकारी, कानपुर देहात एतद्वारा निम्नलिखित राशियों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को मतदान दिनांक 5.5.2004 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु क्रमिक क्र. में निर्दिष्ट मतदाय स्थल के लिये पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

(क) मतदाय स्थल का नम्बर तथा नाम - मतदाय स्थल का नम्बर तथा नाम का आदेश प्रशिक्षण के समय दिया जायेगा।
मतदान की तिथि एवं समय-5.5.2004 पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे।
मतदाय स्थल को प्रस्थान की तिथि- 4.5.2004 प्रातः 7.00 बजे माती मुख्यालय, स्थिति कलेक्ट्रेट भवन
घाटी सम्पर्क की तिथि-3.5.2004 प्रातः 7.00 बजे माती मुख्यालय, स्थिति कलेक्ट्रेट भवन

संके संके क्रमिक	पीठासीन अधिकारी का नाम पद तथा पता	मतदान अधिकारी का नाम पद तथा पता
1	2	3

D S 1 7

D S 1 7

वि. नम्बर/नाम रिजर्व
केन्द्र/क्षेत्र
भारतीय नौसेना बीमा निगम, मुख्यालय

2004-1

दिनांक पशुचिकित्सा
संके प्रकीर्णन/प्रशिक्षण/
घाटी सम्पर्क, तथा सामग्री निगम

दिनांक
29-4-2004
03-5-2004

समय

प्रातः 7 बजे से
प्रातः 7 बजे से

कार्यवाही : नाम एवं पद
कार्यालय का नाम
हस्ताक्षर

- 1- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 को सम्पन्न करने हेतु आपको पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश भेजे जा रहे हैं। कृपया आप हस्ताक्षर इस आदेश पत्र के साथ रिजर्व प्रती स्वीकृत रसीद पर करके अपने कार्यालय अध्यक्ष से अद्योक्तताकारी को उपरान्त वापस कर दें।
- 2- समस्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान कार्मिक उपरोक्त तालिका के अनुसार नियुक्त दिनांक को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम, द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं तृतीय प्रशिक्षण / योगिता घाटी के पारम्परिक सम्पर्क हेतु प्रातः 7 बजे उप मण्डली स्थल अकबरपुर, कानपुर देहात में उपस्थित रहेंगे। प्रथम प्रशिक्षण के दिन पीठासीन अधिकारी के हेडक्वार्टर पर प्रसादरित आकांक्ष नाम पुस्तिका भी विगारित की जायेगी।
- 3- तृतीय प्रशिक्षण एवं घाटी सम्पर्क हेतु समस्त पीठासीन / मतदान अधिकारी उपरोक्त तालिका के अनुसार अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे एवं उपस्थिति अंकित करायेगी।
- 4- योगिता घाटी दिनांक 4.5.2004 को प्रातः 7 बजे अपने लोकसभा / विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता सूची की कार्य प्रति निर्वाचन तडने वाले उम्मीदवारों की तृतीय अधिकांश एवं समस्त मतदान अधिकारी दिनांक 4.5.2004 को प्रातः 7 बजे कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात से प्रान्त करेंगे।
- 5- सम्बन्धित मतदाय स्थल पर सरकारी वाहन से प्रस्थान कराया जायेगा।
- 6- मतदान के पश्चात् मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा सीरूड लिफाफे आदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्न आपकीसर्वों को कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात में प्राप करायेगी।
- 7- तबले सार्व्वतः किया जाता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई पी सी 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध याने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

- नोट - 1- माती मुख्यालय कलेक्ट्रेट, कानपुर देहात कालपी रोड पर कानपुर नगर से लगभग 40 कि.मी. दूर स्थित है।
2- उप मण्डली स्थल अकबरपुर, कानपुर देहात आदेशा रोड पर कोठवाली अकबरपुर के समीप है, शुक्ल तालाब से लगा हुआ है।
3- माती मुख्यालय, कानपुर देहात से उप मण्डली स्थल अकबरपुर, कानपुर देहात के लिये वसों उपलब्ध रहेंगी।
4- समस्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान कार्मिक अपने साधन से प्रशिक्षण एवं घाटी सम्पर्क के लिये पहुँचेंगे।

(आशीष गोयल)

लोकसभा : निर्वाचन - 2004

प्राी कुल रसीद

घाटी

2004-2

लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2004
पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का नियुक्ति आदेश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26(1) तथा (3) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं आशीष गोयल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट व्यक्तियों को मतदान दिनांक 5.5.2004 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु क्रमांक क, में निर्दिष्ट मतदेय स्थल के लिये पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

(क) मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम - मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम का आदेश प्रशिक्षण के समर्थ दिया जायेगा।

1. पार्टी सम्पर्क की तिथि :- 3.5.2004 प्रातः 7 बजे माती मुख्यालय, स्थिति कलेक्ट्रेट भवन
2. मतदेय स्थल को प्रस्थान की तिथि :- 4.5.2004 प्रातः 7.00 बजे माती मुख्यालय, स्थिति कलेक्ट्रेट भवन
3. मतदान की तिथि :- 5.5.2004 पूर्वान्ह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे

पोलिंग पार्टी क्रमांक	पीठासीन अधिकारी का नाम पद तथा पता	मतदान अधिकारी का नाम पद तथा पता
1	2	3

E 1

- जुलूसीराम शर्मा
अवर अभि, (लघु सि.)
खण्ड विकास अधिकारी, रसुलाबाद
1. शिव कुमार तिवारी, एन. पी. आर. सी सरखनखेड़ा
जूनियर हाई स्कूल विकास खण्ड, सरखनखेड़ा

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 को सम्पन्न कराने हेतु आपको पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश भेजे जा रहे हैं। कृपया आप अपना हस्ताक्षर इस आदेश पत्र के साथ दिये हुये प्राप्ति प्रतीकित रसीद पर करके अपने कार्यालय अध्यक्ष/जिला निर्वाचन अधिकारी, इटावा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को तुरन्त वापस कर दें।

पोलिंग पार्टी दिनांक 4.5.2004 को प्रातः 7 बजे अपने लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता सूची की कार्य प्रति निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, अमिट स्याही की शीशी एवं मतदाता सूची तथा पेपर शीट सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात से प्राप्त करेंगे एवं अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर जाने हेतु सरकारी वाहन से प्रस्थान कराया जायेगा।

मतदान के पश्चात् मुहसबन्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा सील्ड लिफाफे आदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसरों को कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात में प्राप्त करायेगे।

यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई.पी.सी. 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः ऐसे कार्यों के विरुद्ध याने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

(आशीष गोयल)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
कानपुर देहात

स्वीकृत रसीद

- पार्टी क्रमांक :-
पीठासीन/मतदान अधिकारी का नाम :-
पदनाम :-
पता :-

हस्ताक्षर

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004
पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का नियुक्ति आदेश

2004-3

लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26(1) तथा (3) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं आशीष गोयल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट व्यक्तियों को मतदान दिनांक 5.5.2004 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु क्रमांक क, में निर्दिष्ट मतदेय स्थल के लिये पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

(क) मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम — मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम का आदेश प्रशिक्षण के समय दिया जायेगा।

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. पार्टी सम्पर्क की तिथि | -3.5.2004 प्रातः 7 बजे, माती मुख्यालय, स्थित कलेक्ट्रेट भवन |
| 2. मतदेय स्थल को प्रस्थान की तिथि | -4.5.2004 प्रातः 7 बजे, माती मुख्यालय, स्थित कलेक्ट्रेट भवन |
| 3. मतदान की तिथि | -5.5.2004 पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे। |

पीठासीन अधिकारी का नाम पद तथा पता

मतदान अधिकारी का नाम पद तथा पता

- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 को सम्पन्न कराने हेतु आपको पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश भेजे जा रहे हैं। कृपया आप अपना हस्ताक्षर इस आदेश पत्र के साथ दिये हुये प्राप्ति स्वीकृत रसीद पर करके अपने कार्यालय अध्यक्ष/जिला निर्वाचन अधिकारी, इटावा के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को तुरन्त वापस कर दें।
 - पोलिंग पार्टी दिनांक 4.5.2004 को प्रातः 7 बजे अपने लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता सूची की कार्य प्रति निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, अमिट स्याही की शीशी एवं ब्रास सील तथा पेपर सील सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात से प्राप्त करेंगे एवं अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर जाने हेतु सरकारी वाहन से प्रस्थान कराया जायेगा।
 - मतदान के पश्चात मुहरबन्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा सीलड लिफाफे आदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसरों को कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात में प्राप्त करायेंगे।
 - यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई.पी.सी. 1860 की धारा 174 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
- नोट :- जनपद इटावा से चलकर सभी पोलिंग पार्टी दिनांक 2.5.2004 को जिला अस्पताल, कानपुर देहात (अकबरपुर के पास) पहुँचेंगी।

(आशीष गोयल)
जिला निर्वाचन अधिकारी
कानपुर देहात।

प्राप्ति स्वीकृत रसीद

पार्टी क्रमांक:-

नाम:-

पद नाम:-

पता:-

हस्ताक्षर

2004-4

लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2004
पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का नियुक्ति आदेश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26(1) तथा (3) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं आशीष गोयल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट व्यक्तियों को मतदान दिनांक 5.5.2004 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु क्रमांक क, में निर्दिष्ट मतदेय स्थल के लिये पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

(क) मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम - मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम का आदेश प्रशिक्षण के समय दिया जायेगा।

1. पार्टी सम्पर्क की तिथि :- 3.5.2004 प्रातः 7 बजे माली मुख्यालय, स्थिति कलेक्ट्रेट भवन
2. मतदेय स्थल को प्रस्थान की तिथि :- 4.5.2004 प्रातः 7.00 बजे माली मुख्यालय, स्थिति कलेक्ट्रेट भवन
3. मतदान की तिथि :- 5.5.2004 पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे

पीठासीन अधिकारी

का नाम पद तथा पता

मतदान अधिकारी

का नाम पद तथा पता

पार्टी क्रमांक :- E 1

रमेश चन्द्र

प्रधानाध्यापक

प्रा. वि. सुखीपुर, स. बे. शि. अधि., अखुन्दा

1. इन्द्र पाल

सहायक अध्यापक

इन्दिरा गाँधी उ. मा. विद्यालय दिबियापुर, औरैया

1. लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 को सम्पन्न कराने हेतु आपको पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश भेजे जा रहे हैं। कृपया आप अपना हस्ताक्षर इस आदेश पत्र के साथ दिये हुये प्राप्त स्वीकृत रसीद पर करके अपने कार्यालय अध्यक्ष/जिला निर्वाचन अधिकारी, इटावा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को तुरन्त वापस कर दें।
2. पोलिंग पार्टी दिनांक 4.5.2004 को प्रातः 7 बजे अपने लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता सूची की कार्य प्रति निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, अमिट स्याही को शीशे एवं बाल सौल तथा पेपर सौल सम्बन्धित रिटर्निंग आफोसर कलेक्ट्रेट माली, कानपुर देहात से प्राप्त करेंगे एवं अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर जाने हेतु सरकारी वाहन से प्रस्थान कराया जायेगा।
3. मतदान के पश्चात मुहरबन्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा सौलड लिफाफे आदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफोसरों को कलेक्ट्रेट माली, कानपुर देहात में प्राप्त करायेगे।
4. यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का इत्तफा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई.पी.सी. 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

नोट:- जनपद इटावा से चलकर सभी पोलिंग पार्टी दिनांक: 2-5-2004 को जिला अस्पताल, कानपुर देहात (तहसील अकबरपुर के पास) पहुंचेंगी।

(आशीष गोयल)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
कानपुर देहात

प्राप्ति स्वीकृत रसीद

1. पार्टी क्रमांक :-

2. नाम

3. पदनाम :-

4. पता :-

हस्ताक्षर

तहसीलवार-सेक्टरवार पोलिंग स्टेशन सूची
=====

59-घाटमपुर विधानसभा 60-बिल्हौर =====	पो. सं. =====	स्थल स्थिति =====	भवन =====	तहसील =====	थाना =====
60 281-सरवनखेडा	21	अम्बरपुर	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	22	रूरा टाउन एरिया	प्रा. स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	23	रूरा टाउन एरिया	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	24	रूरा टाउन एरिया	जू.हा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	25	रूरा टाउन एरिया	जू.हा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	26	रूरा टाउन एरिया	आर,पी,एस,इ,कालेज	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	27	रूरा टाउन एरिया	आर,पी,एस,इ,कालेज	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	28	धनीरामपुर	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
✓ 60 281-सरवनखेडा	29	रूरा टाउन एरिया	आर,पी,एस,इ,कालेज	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	30	रूरा टाउन एरिया	आर,पी,एस,इ,कालेज	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	37	गहोलिया	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
* सेक्टर का नाम:- 35-मुख्यालय मिलनकेन्द्र तिगाई					
60 281-सरवनखेडा	31	तिगाई	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	32	तिगाई	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	33	गैजूमऊ	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	34	भिखनापुर	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	35	हसनापुर	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
✓ 60 281-सरवनखेडा	36	हसनापुर	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	38	रोशनमऊ	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	39	रोशनमऊ	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
Ⓐ 60 281-सरवनखेडा	40	अंदाया	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	41	अंदाया	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	82	असन्दा	प्रा.स्कूल	अकबरपुर	अकबरपुर

2004-6

PAGE NO. 1
14-4-2004

तहसीलवार-सेक्टरवार पोलिंग स्टेशन सूची

=====

59-घाटमपुर विधानसभा 60-बिलहौर	पो, सं,	स्थल स्थिति	भवन	तहसील	थाना
----------------------------------	------------	-------------	-----	-------	------

** तहसील- अकबरपुर

* सेक्टर का नाम:- 33-मुख्यालय सा,सह,स,अरिमलन्याई

60 281-सरवनखेडा	1	निजावतपुर	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	2	मुरीदपुर	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	शिवली
60 281-सरवनखेडा	3	अरिमल न्याई	जू,हा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	4	अरिमल न्याई	जू,हा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	5	भैरोशाहजहाँपुर	प्रा,पाठशाला	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	6	वीरपुर नकसिया	प्रा,पाठशाला	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	7	अरिमल न्याई	जू,हा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	12	लमरहा	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	8	भंवरपुर	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	9	भंवरपुर	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	10	कारीकलवारी	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	11	कारीकलवारी	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा

* सेक्टर का नाम:- 34-मुख्यालय आर,पी,एस,इ,का,रूरा

60 281-सरवनखेडा	13	गदनपुर	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	14	जगनपुर	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	15	सरवाठप्पा तिगाई	प्रा, स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	16	सराघाँ	प्रा, स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	17	सराघाँ	प्रा, स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	18	किशुनपुर	प्रा, स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	19	भटौली	प्रा, स्कूल	अकबरपुर	रूरा
60 281-सरवनखेडा	20	भटौली	प्रा,स्कूल	अकबरपुर	रूरा

H-4002

नवीन पाटी सं०	पोलिंग स्टेशन नं०	विधानसभा	लोकसभा	वाहन सं०
1	2	भोगनीपुर	घाटमपुर	1
2	3	भोगनीपुर	घाटमपुर	1
3	4	भोगनीपुर	घाटमपुर	1
4	5	भोगनीपुर	घाटमपुर	1
5	6	भोगनीपुर	घाटमपुर	1
6	7	भोगनीपुर	घाटमपुर	1
7	1	भोगनीपुर	घाटमपुर	2
8	8	भोगनीपुर	घाटमपुर	2
9	9	भोगनीपुर	घाटमपुर	2
10	11	भोगनीपुर	घाटमपुर	2

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004
पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का नियुक्ति आदेश

लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26(1) तथा (3) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं आशीष गोयल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट व्यक्तियों को मतदान दिनांक 5.5.2004 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु क्रमांक क, में निर्दिष्ट मतदेय स्थल के लिये पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

(क) मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम - मतदेय स्थल का नम्बर तथा नाम का आदेश प्रशिक्षण के समय दिया जायेगा।

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. पार्टी सम्पर्क की तिथि | -3.5.2004 प्रातः 7 बजे, माती मुख्यालय, स्थित कलेक्ट्रेट भवन |
| 2. मतदेय स्थल को प्रस्थान की तिथि | -4.5.2004 प्रातः 7 बजे, माती मुख्यालय, स्थित कलेक्ट्रेट भवन |
| 3. मतदान की तिथि | -5.5.2004 पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे। |

पीठासीन अधिकारी का नाम पद तथा पता

मतदान अधिकारी का नाम पद तथा पता

- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 को सम्पन्न कराने हेतु आपको पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश भेजे जा रहे हैं। कृपया आप अपना हस्ताक्षर इस आदेश पत्र के साथ दिये हुये प्राप्ति स्वीकृत रसीद पर करके अपने कार्यालय अध्यक्ष/जिला निर्वाचन अधिकारी, इटावा के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को तुरन्त वापस कर दें।
 - पोलिग पार्टी दिनांक 4.5.2004 को प्रातः 7 बजे अपने लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता सूची की कार्य प्रति निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, अमिट स्याही की शीशी एवं ब्रास सील तथा पेपर सील सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात से प्राप्त करेंगे एवं अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर जाने हेतु सरकारी वाहन से प्रस्थान कराया जायेगा।
 - मतदान के पश्चात मुहरबन्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा सील्ड लिफाफे आदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसरों को कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात में प्राप्त करायेगे।
 - यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई.पी.सी. 1860 की धारा 174 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
- नोट :- जनपद इटावा से चलकर सभी पोलिग पार्टी दिनांक 2.5.2004 को जिला अस्पताल, कानपुर देहात (अकबरपुर के पास) पहुँचेंगी।

(आशीष गोयल)
जिला निर्वाचन अधिकारी
कानपुर देहात।

पार्टी क्रमांक:-

नाम:-

प्राप्ति स्वीकृत रसीद

पद नाम:-

पता:-

हस्ताक्षर